

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ. बी-1-30-2008-2-पांच(13).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 तथा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई, 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अध्याय 2 में, भाग 1 में, खण्ड 12 में अनुसूची में, मद 3 में, उप-मद (ड) में, परिशोधित स्प्रिट या पूर्ण अल्कोहल (एब्सोल्यूट अल्कोहल) पर शुल्क संबंधी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. बी-1-30-2008-2-पांच(13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-30-2008-2-पांच(13), दिनांक 1 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F B-1-30-2008-2-V(13).—In exercise of the powers conferred by Section 25 and 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby, makes the following amendment

in this department's notification dated 4th July, 1959, namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, in Chapter II, in Section I, in Clause XII, in the Schedule, in item 3, sub-item (e), regarding the duty on rectified spirit or absolute alcohol, and entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ. बी-1-30-2008-2-पांच(14).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, परिशोधित स्पिरिट के औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु नीचे दी गई सारणी में यथा विविध आयात, निर्यात तथा परिवहन फीस विहित करती है :—

#### सारणी

| अनुक्रमांक<br>(1) | फीस<br>(2)  | फीस की दर<br>(3)          |
|-------------------|-------------|---------------------------|
| 1                 | आयात फीस    | रुपए 2.50 प्रति बल्क लीटर |
| 2                 | निर्यात फीस | रुपए 1.00 प्रति बल्क लीटर |
| 3                 | परिवहन फीस  | रुपए 2.50 प्रति बल्क लीटर |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. बी-1-30-2008-2-पांच(14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-30-2008-2-पांच(14), दिनांक 1 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव,

Bhopal, the 1st April 2011

No. F B-1-30-2008-2-V(14).—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby, prescribes the import, export and transport fee on Rectified Spirit used for industrial purpose as specified in the table below :—

#### TABLE

| S.No.<br>(1) | Fees<br>(2)   | Rate of Fees<br>(3)     |
|--------------|---------------|-------------------------|
| 1            | Import Fee    | Rs. 2.50 per bulk litre |
| 2            | Export Fee    | Rs. 1.00 per bulk litre |
| 3            | Transport Fee | Rs. 2.50 per bulk litre |

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl.Secy.